भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3137
(दिनांक 11.03.2026 को उत्तर के लिए)

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में रिक्तियां

3137. श्रीमती महुआ मोइत्रा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने वर्ष 2014 से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख): काम की प्रशासनिक आकस्मिकताओं और परिचालन संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, मंत्रालय सामान्य वित्तीय नियम 2017 के प्रावधानों के तहत, अर्हता प्राप्त सेवा प्रदाता एजेंसियों के साथ संविदा के माध्यम से कार्मिक शक्ति सेवाओं को काम पर रखता/आउटसोर्स करता है। सेवा प्रावधान के विवरण, संविदा में दिए गए हैं जिसमें कार्मिकों की संख्या, सेवा की अवधि, भुगतान संबंधी दायित्व और भाड़े पर ली गई (हायर्ड) सेवाओं को शासित करने वाली अन्य महत्वपूर्ण निबंधन और शर्तें शामिल हैं।

*****